268 3 वर्ष 2014 – 15 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और सरकारी विभाग/मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हेतु दिशा – निर्देश ।

कृपया वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए समझौता ज्ञापन हेतु का मसौदा बनाने के लिए इसके साथ संलग्न दिशा–निर्देशों की प्रति देखें । ये दिशा–निर्देश लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट **http://www.dpemou.nic.in** पर भी उपलब्ध है ।

2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (नियंत्रक कम्पनी और सहायक कम्पनियों) को उक्त दिशा – निर्देशों के आधार पर वर्ष 2014–15 के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करने की सलाह दी जाए ।

3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और उसकी सहायक कम्पनियों की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, कारपोरेट योजना की एक प्रति तथा संलग्न अनुबंधों सहित वर्ष 2014–15 के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन की एक अग्रिम प्रति 09 दिसम्बर 2013 तक (हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति) लोक उद्यम विभाग को सीधे भेजी जाए । उनके बोर्ड के अनुमोदन के बाद में मुख्य प्रति 20 दिसम्बर, 2013 तक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, योजना आयोग और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजी जा सकती है। अनुमोदित प्रतियां संबंधित सिण्डीकेट ग्रुप के कार्यबल के सदस्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा पहले ही भेजनी होगी ।

4. इन दिशा–निर्देशों में संशोधनों को यदि कोई हो, कार्यबल सिडीकेंट ग्रुप के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की विचार–विमर्श बैठकों से पूर्व जारी किया जाएगा ।

वर्ष 2014 – 15 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हेतु दिशा–निर्देश ।

1. **उपयुक्तता** : सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (नियंत्रण कम्पनी और सहायक कम्पनियां) बिना आपत्ति समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। जब शीर्ष / नियंत्रण कम्पनियां अपने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगी, जबकि सहायक कम्पनियां अपनी – अपनी संबंधित शीर्ष / नियंत्रण कम्पनियों के साथ उसी आधार पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगी जिस आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और उसके प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
2. **समझौता ज्ञापन से छूट** :– जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन्द हैं/प्रचालन में नहीं हैं, मिला दिए गए हैं, समाप्त कर दिया है, शैल कम्पनियां हैं, अथवा रुग्ण हैं और बन्द होने के कगार पर हैं अथवा जिन्हें बिना पुनरूद्धार पैकेज के मिला दिया गया है, उनके मामलें में प्रशासनिक मंत्रालय अपनी सिफारिशों के साथ लोक उद्यम विभाग के पास 20 दिसम्बर 2013 तक प्रस्ताव भेजेगा ।

3. **लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्ग दर्शी सिद्धान्त** :– एमओयू लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए, लेकिन विकासोन्मुख और अन्तः प्रेरणादायक होने चाहिए तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की प्रस्तावित वार्षिक योजना, बजट और कारपोरेट योजना तथा मंत्रालय / विभाग के रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) के अनुरूप होने चाहिए । यह योजना दस्तावेजों में अथवा वार्षिक योजना विचार – विमर्शों के दौरान निर्दिष्ट लक्ष्यों / उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और वित्त मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित आवंटनों के अनुसार निर्धारित किए जाने चाहिए । सांविधिक अथवा नियांमक निकायों , यथा लागू, के निर्देश भी इसमें शामिल होने चाहिए । विद्यमान और प्रत्याशित परिस्थितियों के अन्तर्गत लक्ष्य अधिकतम प्राप्य होने चाहिए । आईपीओ / एफपीओ दस्तावेजों में संभावित निवेशकों को प्रकट की गई वित्तीय सूचना तथा पणधारकों के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

1. **वित्तीय लक्ष्य (स्थिर मापदण्ड)** :– प्रासंगिक वित्तीय मापदण्डों के बुनियादी लक्ष्यों का (i) पिछले 5 वर्षों के वास्तविक पर आधारित अनुमान (कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अध्यादेशों के अनुसार वित्तीय विवरणों के संशोधित कार्यक्रम के आधार पर पुनः बनाए गए) (ii) सेक्टोरल तथा औद्योगिक विकास के संदर्भ (iii) आगमी वर्ष के लिए विकास संभावना की पूर्व सूचना (iv) राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर समकक्ष कम्पनियों के बेंचमार्किंग (v) योजना आयोग / वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर निर्धारण करना चाहिए। इन दिशा – निर्देशों के अनुबंध – I में जो मापदण्ड दर्शाए हैं, ये मापदण्ड उन्हीं के अनुसार होने चाहिए ।
2. **गैर वित्तीय लक्ष्य** :– गैर – वित्तीय लक्ष्य स्मार्ट (विशिष्ट, माप योग्य, प्राप्य, परिणामोन्मुख वास्तविक) होने चाहिए । गैर – वित्तीय मापदण्डों की किसी बाहरी एजेंसी से स्वंतत्र रूप से प्रमाणनीय होनी चाहिए, जहां व्यवहार्य हो । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को दस्तावेजी प्रमाण को विनिर्दिष्ट भी करना चाहिए । वे निष्पादन के प्रमाण, एमओयू ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के स्रोत / एजेंसी के रूप में विश्वसनीय होंगे । मापदण्डों का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा प्रस्तुत आन्तरिक दस्तावेज संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बोर्ड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि हरेक मापदण्ड, वित्तीय और गैर – वित्तीय दोनों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का एक पूरा सैट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है । इसके बिना लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का कार्य निष्पादन करने में असहाय हो जाएगा । उन मापदण्डों के बारे में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा दावा की रेटिंग से यह स्वतः ही कम से कम एक स्तर कम हो जाएगी जिनके लिए लोक उद्यम विभाग के द्वारा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं/उचित प्रपत्र में नहीं है ।
3. साझा एमओयू मूल्यांकन अपनाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए एमओयू के लिए चुने गए वित्तीय और गैर – वित्तीय दोनों मापदण्डों की कुल संख्या 14 (अर्थात् वित्तीय श्रेणी से 6 और गैर – वित्तीय श्रेणी से 8) से अधिक नहीं होनी चाहिए । जहां तक संभव हो धारा 25 के अन्तर्गत, हानि वाले, निर्माण धीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए मापदण्डों की संख्या 16 से अधिक नहीं होनी चाहिए । कार्य बल यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मापदण्डों पर बल देते हैं ।

4. **ग्रुप लक्ष्य** :– कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निष्पादन परस्पर निर्भर होते हैं क्योंकि उनके प्रचालन विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में कम होते हैं । ऐसी परिस्थितियों में संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों के एमओयू लक्ष्यों को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि वे अपने निष्पादनों के लिए तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से और अलग – अलग जिम्मेदार हों । सिण्डीकेट की नियमित बैठकों के अलावा, इन निकटस्थ मुद्दों का समाधान करने के लिए सी पी एस ई की या तो एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए, जिसमें इनको शामिल किया जाता है, अथवा इन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, रेलवे, प्रशासनिक मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग और उनके संबंधित कार्य बल सिण्डीकेटों की एक अलग बैठक (बैठके) आयोजित की जाए ।
5. **लक्ष्यों का संशोधन :–** समझौता ज्ञापनों पर एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद लक्ष्यों में कोई संशोधन करना अनुज्ञेय नहीं है। एमओयू लक्ष्य शर्तरहित और स्थायी होते हैं । तथापि, एमओयू के निष्पादन मूल्यांकन के दौरान, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के लिए एमओयू का कार्यबल ऑफसैट पर विचार करे तथा लोक उद्यम विभाग को अपनी सिफारिशें दें । ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय एमओयू पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के द्वारा लिया जाएगा ।
6. **कार्यबल / विशेष समूह** :– एमओयू पर कार्यबल विशेषज्ञों का एक तटस्थ और स्वतंत्र निकाय होता है जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करने में तथा वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापनों के निष्पादन मूल्यांकन करने में एमओयू में उच्च आधिकार प्राप्त समिति तथा लोक उद्यम विभाग की सहायता करता है । वर्ष 2014 – 15 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को 13 सिण्डीकेट ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है । रूग्ण और हानि करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को सिण्डीकेटों से संबंधित अपने – अपने प्रभाव – क्षेत्र में शामिल किया जाएगा । प्रत्येक सिण्डीकेट के लिए एमओयू कार्य बल में अधिकतम 6 सदस्य होंगे । एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए कार्य बल को सलाह देने के लिए दो विशेशज्ञ समूहों की स्थापना की गई है – वित्त / लेखा के लिए एक तथा गैर – वित्तीय मामलों के लिए एक – एक समूह की स्थापना की गई है । एमओयू संबंधी कार्यबल के लिए एक अध्यक्ष होगा । कार्यबल सदस्यों की सिण्डीकेट वार सूची लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट http://www.dpemou.nic.in पर उपलब्ध होगी ।
7. **स्थायी समिति की बैठक** : एमओयू पर कार्यबल की वार्ता बैठकों से पहले एमओयू कार्य के महत्वपूर्ण / प्रासंगिक विषयों पर विचार – विमर्श करने के लिए स्थायी समिति की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी ।
8. **प्रशासनिक मंत्रालय / सीपीएसई की भागीदारी** : प्रत्येक वार्ता बैठक में प्रशासनिक मंत्रालय का प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहिए जो संयुक्त सचिव के रैंक से कम का न हो। वार्ता बैठकों के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के दल सीएमडी और बोर्ड स्तरीय अधिकारी तक सीमित होना चाहिए ।
9. **कार्यबल के लिए पूर्व–वार्ता बैठक :** सिण्डीकेट का प्रत्येक कार्य बल अपने – अपने सिण्डीकेट में सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त हुए मसौदा समझौता ज्ञापनों पर विचार – विमर्श करने के लिए वार्ता – बैठक शुरू होने से ठीक पहले एक या एक से अधिक पूर्व वार्ता बैठक (बैठकें) सदस्य संसाधन समूह और लोक उद्यम विभाग के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित करेगा । एमओयू मापदण्डों और उनकी

भारिता आदि में संशोधन करने के प्रश्नों और सुझाव यदि कोई हो, वार्ता बैठक से पूर्व उत्तर देने के लिए उन्हें उचित समय देते हुए लोक उद्यम विभाग के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों/प्रशासनिक मंत्रालय के पास भेजे जाएंगे ।

10. **समय–सीमाः** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और उसकी सहायक कम्पनियों की अद्यतन वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, कारपोरेट योजना की एक प्रति तथा संलग्न अनुबंधों सहित वर्ष 2013 – 14 के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन की एक अग्रिम प्रति वर्ष 2014–15 के एमओयू दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट विवरणों के साथ 09 दिसम्बर 2013 तक (हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति) लोक उद्यम विभाग को सीधे भेजी जाए । उनके बोर्ड के अनुमोदन के बाद में मुख्य प्रति 20 दिसम्बर, 2013 तक प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, योजना आयोग और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजी जा सकती है । सभी दस्तावेजों/अनुबंधों सहित अनुमोदित प्रतियां संबंधित सिण्डीकेट ग्रुप के कार्यबल सदस्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा एमओयू समझौता बैठकों की तारीख पहले ही भेजनी होगी ।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के बीच तथा सहायक कंपनी और शीर्ष नियंत्रण सी पी एस ई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति 25 मार्च, 2014 की नियत तारीख तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए ।

सी पी एस ई के लेखा परीक्षा किए आंकड़ों (लेखा परीक्षा किए सांविधिक लेखों) के आधार पर वर्ष 2013–14 की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट संशोधित अनुसूची में और गैर–वित्तीय मापदंडों की उपलब्धि के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण सी पी एस ई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद और अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग एवं कार्यबल के सदस्यों के लिए अलग–अलग वर्ष 2013–14 के लिए 31 अगस्त, 2014 की नियत तारीख तक तथा वर्ष 2014–15 के लिए 31 अगस्त, 2015 की नियत तारीख के भीतर समय से प्रस्तुत करने चाहिए ।

14. मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (धारक एवं सहायक उद्यमों) को एमओयू दिशा–निर्देशों के आधार पर वर्ष 2014–15 के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाए, जो लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट http: www.dpemou.nic.in पर भी उपलब्ध हैं ।

सूची

समझौता ज्ञापन तैयार करना / मूल्यांकन

क्र. सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	सीपीएसई का मिशन, विजन और उद्देश्य	
2.	सरकार से वचनबद्धताएं / सहायता	
3.	निष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य और उनका निर्धारण	
4.	मसौदा एमओयू के साथ अनुलग्नक	
5.	एमओयू हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया और समयबद्धता	
6.	एमओयू मूल्यांकन	
7.	एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार	
8.	अनुबधों की सूची	

समझौता ज्ञापन (एमओई) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के बीच एक विनिमेय समझौता और अनुबंध है । यह निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष के अन्त में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए दावा करना होता है ।

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का मिशन, दृष्टिकोण और उद्देश्य

1.1 मिशन/दृष्टिकोण :

उद्यम और उसके व्यवसाय कार्यकलापों के अस्तित्व के लिए तर्काधार को शामिल करते हुए मिशन दृष्टिकोण एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए । मिशन संबंधी विवरण उद्यम के द्वारा नियोजित अथवा / और सक्रिय रूप से विचाराधीन नई पहलों को ध्यान में रखकर प्रतिपादित करने चाहिए ।

1.2 उद्देश्य

उद्देश्य उद्यम के मिशन से संबंधित होने चाहिए और उद्यम के निदेशक मण्डल के द्वारा यथा अनुमोदित प्राथमिक के क्रम में सूचीबद्ध होने चाहिए । यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी उद्देश्यों को एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र में दर्शाया जाता है । इन उद्देश्यों में उद्यम के प्रचालनों के मात्रात्मक और गुणात्मक, वाणिज्यिक और गैर – वाणिज्यिक, तथा स्थिर गतिशील पहलू शामिल होने चाहिए।

2. सरकार से वचनबद्धता / सहायता

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निष्पादन का प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों की वचनबद्धता तथा उनके द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दी गई वास्तविक सहायता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है । इसकी मात्रा के बारे में अनुमान लगाना होगा और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निष्पादन मूल्यांकन स्कोर सीट के साथ एक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के द्वारा लोक उद्यम विभाग के लिए प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी एचपीसी के द्वारा समीक्षा की जाएगी । सरकार से अपेक्षित वचनबद्धताएं / सहायता स्वीकृत निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक और संबंधित होनी चाहिए । इन बाध्यताओं से उद्यम के निष्पादन सीधे तौर पर प्रभावित होना चाहिए और निष्पादन पर उनके प्रभाव को आंकना चाहिए । इन वचनबद्धताओं / सहायता पर आधारित लक्ष्य सशर्त अथवा अस्थायी होने चाहिए । एमओयू दस्तावेज में वचनबद्धताओं / आश्वासनों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेजों में उपयुक्त रूप से शामिल करना चाहिए ।

2.2 गैर – सरकारी निदेशकों (एनओडी) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बोर्ड में गैर – सरकारी निदेशकों के पदों को भरने के बारे में समय से की गई कार्रवाई के बारे में प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों की ओर से विशिष्ट वचनबद्धता को संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के हस्ताक्षरित समझौता – ज्ञापनों में शामिल किया जाएगा, जहां कहीं लागू हो ।

3. <u>निष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य और उनका निर्धारण</u> :–

3.1 निष्पादन मूल्यांकन 'संतुलित स्कोर कार्ड' दृष्टिकोण पर आधारित होता है । इसमें 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बराबर भार वाले "वित्तीय" और "गैर – वित्तीय" दोनों मापदण्ड शामिल होते हैं । तथापि, सिण्डीकेट ग्रुपों "रूग्ण और हानि उठाने वाले सीपीएसई" और "सेक्शन 25 सीपीएसई" के मामले में वित्तीय और गैर – वित्तीय मापदण्डों के लिए महत्व क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है । निर्माणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामले में "परियोजना से संबंधित मापदण्ड" और "गतिशील मापदण्डों" का क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत महत्व होगा ।

3.2 "घटिया निष्पादन" से "उत्कृष्ट निष्पादन" को श्रेणीबद्ध करने की दृष्टि से समझौता ज्ञापन में 5 सूत्रीय – स्केल पर आरोही क्रम में अर्थात् (1) 'उत्कृष्ट', (2) 'बहुत अच्छा', (3) 'अच्छा' (4) 'साधारण' और (5) 'घटिया' अलग – अलग निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ।

3.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के साथ परामर्श करके कार्य बल बुनियादी लक्ष्य और उत्कृष्टता, बहुत अच्छा, अच्छा आदि के बीच अन्तर का स्तर निर्धारित करेगा ।

3.4 एमओयू वार्ता बैठक में मापदण्डों और उनके महत्व के बारे में कार्य बल सिण्डीकेटों के द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा और अन्तिम निर्णय संयोजक का होगा ।

3.5 वित्तीय / गैर – वित्ती मापदण्डों, यथा लागू, से संबंधित राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय बेंच मार्कों के बारे में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सूचना देगा । एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण करते समय कार्य बल इन बेंच मार्कों के बारे में विचार करेगा ।

वित्तीय लक्ष्य

3.6 **वित्तीय मापदण्डों की परिभाषाएं** : सभी वित्तीय शर्तें अनुबंध I में दी गई परिभाषाओं के अनुरूप होने चाहिए ।

3.7 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इस आशय का एक स्व–प्रमाणन (अनुबंध VII) देगा कि वित्तीय मापदण्डों के लक्ष्यों को प्राप्त करते समय लोक उद्यम विभाग के एमओयू दिशा – निर्देशों में निर्धारित परिभाषाओं और मानदण्डों का सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया गया है और उनमें कोई अन्तर नहीं किया गया है ।

3.8 निर्धारित लक्ष्य वास्तविक, विकासोन्मुख और अन्तः प्ररेणादायक होने चाहिए । निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2014 – 15 के बजट अनुमानों के अनुरूप होने चाहिए तथा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और यथा लागू अन्य सांविधिक अथवा नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किए लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। यह देखा गया है कि कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने सुलभ लक्ष्यों के लिए अपने मामले के बारे में निवेदन करने के लिए आगामी वर्ष के उनके अनुमानित निष्पादन को कम कर दिया । ऐसे मामलों में एमओयू का निष्पादन मूल्यांकन करते समय लक्ष्यों को इस तरह से कम करने और अधिक उपलब्धि के देखने के कारणों को बताने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आग्रह करने के लिए लोक उद्यम विभाग / कार्य बल स्वतंत्र होगा । कार्य बल निष्पादन मूल्यांकन के दौरान उपयुक्त समायोजन तथा स्कोर एवं रेटिंग को तदनुसार अन्तिम रूप दे सकेगा । अतः वर्ष 2012 – 13 के लिए एमओयू हेतु लक्ष्यों को निर्धारित करते समय निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जाएगा :

3.9 वित्तीय मापदण्डों के लिए बुनियादी लक्ष्य (बी. टी.) निर्धारित करने के लिए विगत 5 वर्षों की वास्तविक उपलब्धि (अनुबंध – VI) तथा क्षमता और इसका विस्तार, व्यापार परिवेश, कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं सरकारी नीतियां, बाहरी कारक तथा कंपनी के विकास पूर्वानुमान जैसे कारकों के बारे में विचार किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों पर भी विचार किया जाएगा, जहां लागू हों। जब तक पूर्ववर्ती वर्ष में खराब निष्पादन न हो, तब तक बुनियादी वित्तीय लक्ष्यों के बारे में पूर्ववर्ती वर्ष की उपलब्धि अथवा लक्ष्यों की तुलना में एक महत्वाकांक्षी विकास का अनुमान लगाते हुए इन लक्ष्यों को सामान्य तौर पर निर्धारित किया जाना चाहिए

। खराब निष्पादन के मामले में पिछले 3 वर्षों के वास्तविक निष्पादन के औसत पर वृद्धि पर विचार करते हुए वास्तविक, प्राप्य लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाए । अन्य जिन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने केवल हाल ही अपना व्यवसाय शुरू किया है, उनके लिए उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुमान लगाए जाएंगे।

गैर – वित्तीय लक्ष्य :

3.10 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय के साथ परामर्श करके गैर – वित्तीय मापदण्डों का चयन कर सकते हैं जिनको अपने उद्देश्यों को पूरा करने तथा इसके कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तथापि, निर्धारित गैर – वित्तीय लक्ष्य स्मार्ट (विशिष्ट, माप योग्य, प्राप्य, परिणामोन्मुख, वास्तविक) होने चाहिए और जिनके बारे में मसौदा एमओयू के समय पर और लक्ष्यों को निर्धारित करने के दौरान प्राथमिकता के आधार पर निर्णय होना चाहिए । गैर – वित्तीय मापदण्डों की किसी बाहरी एजेंसी से स्वंतत्र रूप से प्रमाणनीय होनी चाहिए, जहां व्यवहार्य हो तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को दस्तावेजी प्रमाण को विनिर्दिष्ट भी करना चाहिए । वे निष्पादन के प्रमाण, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के स्रोत/एजेंसी के रूप में विश्वसनीय होंगे । इसका आशय सख्त, पारदर्शी और वस्तुपरक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है ।

3.11 एमओयू वार्ता बैठक में हुए विचार – विमर्शों के दौरान यदि कार्यबल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र में यथा निर्दिष्ट कोई गतिशील पैरामीटर किसी विशेष केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रासंगिक न हों, तो कार्यबल नए मापदण्ड बना सकता है तथा उस विशिष्ट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रासंगिक शेष भार को तदनुसार समायोजित कर सकता है । लेखा परीक्षा संबंधी अर्हता के न्यूनीकरण को कार्य बल के विवेक पर एक मापदण्ड के रूप में लागू किया जाए । इसके अलावा, यदि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आन्तरिक नियंत्रण के बारे में कोई टिप्पणी/शर्त हो, तो "आन्तरिक नियंत्रण मैनुअल को तैयार करना"/"बाहरी एजेंसियों के साथ परामर्श करके आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया का क्रियान्वयन" को एमओयू मापदण्डों के रूप में लागू किया जाए। मूल्यांकन के लिए, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इस वित्तीय प्रभाव सहित, यदि कोई हो, लेखा – परीक्षा संबंधी शर्त को शामिल करेगा ।

3.12 **क्षेत्र – विशिष्ट और उद्यम – विशिष्ट मापदण्ड :**

कार्य बल उपयुक्त क्षेत्र – विशिष्ट और उद्यम विशिष्ट मापदण्डों की पहचान करेगा/ बनाएगा तथा जहां पर यह जरूरी समझा जाता है, वहां पर केन्द्रीय सार्वजनिक स्थल क्षेत्र उद्यम/प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके भारों को

बदल सकता है तथा उनको गैर – वित्तीय मापदण्डों के अन्तर्गत मापदण्डों को एक साथ मिला भी सकता है ।

3.13 भौतिक लक्ष्य

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन के अलावा मापे जाने योग्य भौतिक लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की उत्पादकता और कार्य कुशलता को दर्शाते हैं । कार्य बल यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के एमओयू में भौतिक लक्ष्यों के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाता है ।

3.14 क्षमता अभिवृद्धि

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/प्रशासनिक मंत्रालय अपने मिशन/दृष्टिकोण विवरण, व्यापार योजना तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित मापदण्ड के रूप में क्षमता अभिवृद्धि का चयन कर सकते हैं ।

3.15 परियोजना प्रबंध और कार्यान्वयन :

सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा मानीटरिंग की गई परियोजनाओं सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा जारी और कार्यान्वित की जाने वाली नई परियोजनाओं को गैर – वित्तीय लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए । वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली नई/जारी पारियोजनाओं की सूची, वर्ष के दौरान जो परियोजनाएं पूरी नहीं की जा सकती हैं ऐसी नई/जारी परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहिए ।

3.16 सीपीईएक्स

पूंजीगत व्यय के लिए सीएपीईएक्स को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा इसके एमओयू में एक मापदण्ड के रूप में शामिल किया जाता है। इस मापदण्ड को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए शामिल किया जाता है, जिन्होंने नकद अधिशेष संचित किए हैं और क्षमता अभिवृद्धि हेतु जरूरत/मांग है तथा प्रबंधन इसे जरूरी/व्यवहार्य समझता है ।

3.17 नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और संपोषणीयता

"गैर वित्तीय मापदण्डों" के तहत शामिल "नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता" को 3 अंकों तक महत्व दिया जा सकता है । इस प्रयोजन हेतु लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी दिशा – निर्देशों को नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता के तहत मापदण्डों का निर्णय करने के लिए पालन करना चाहिए ।

इन वार्ता बैठकों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ परामर्श करके कार्य बल लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा – निर्देशों में दी गई सूची से परियोजनाओं/कार्य कलापों को अन्तिम रूप देगा ।

3.18 अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी)

'एक गैर – वित्तीय मापदण्ड' "अनुसंधान और विकास" को अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए इच्छुक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए शामिल किया जा सकता है । अनुसंधान और विकास मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नहीं है (यद्यपि इसे छोड़ा नहीं जाता है) । इसको विनिर्माण, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास, पैकेजिंग, विपणन और यहां तक कि उपलब्ध और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों तथा तकनीकों के नवीनीकरण, अपनाने और अनुप्रयोग के माध्यम से कार्य प्रक्रियाओं सहित सभी कार्यकलापों के प्रचालन संबंधी कार्य कुशलताओं में सुधारों से जोड़ना चाहिए । कार्यबल वार्ता बैठकों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ परामर्श करके लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में दी गई सूची में से परियोजनाओं/कार्यकलापों को अंतिम रूप देगा ।

लोक उद्यम विभाग के द्वारा जाने – माने वैज्ञानिकों और आर एण्ड डी विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें सीएसआईआर, डीआरडीओ के विशेषज्ञ और अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का अनुसंधान और विकास कार्य करेंगे तथा जहां कहीं जानकारी में आता है, तो अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहनों की सिफारिश करेगा ।

3.19 मानव संसाधन प्रबंध (एच आर एम)

"मानव संसाधन प्रबंध" "गैर – वित्तीय मापदण्डों" के तहत एक संघटक रहता है । एच आर एम के तहत प्रासंगिक उप मापदण्डों का एच आर एम दिशा निर्देशों से चयन किया जाना चाहिए । कार्य बल में एच आर एम तहत एक अनिवार्य संघटक के रूप में विशेषकर महारत्न और नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए उत्तराधिकार आयोजन का मापदण्ड शामिल हो सकता है ।

3.20 "नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और संपोषणीयता", अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन प्रबंधन लोक उद्यम विभाग के एमओयू प्रभाग की (http://www.dpemou.nic.in/) वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

3.21 नैगमिक शासन को अनुपालन न करने के लिए नकारात्मक मार्किंग

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 14 मई 2010 के का. ज्ञा. सं. 18(8)/2005– जी.एम. के द्वारा नैगमिक शासन पर दिशा – निर्देश जारी किए हैं । सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सेवी के दिशा – निर्देशों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशा

– निर्देशों दोनों का पालन करेंगे, जबकि गैर – सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नैगमिक शासन संबंधी अनिवार्यत : लोक उद्यम विभाग के दिशा – निर्देशों का पालन करना होगा । वर्ष 2013 – 14 के समझौता ज्ञापन में, "नैगमिक शासन का अनुपालन" "गैर – वित्तीय मापदण्डों" के तहत एक मापदण्ड नहीं होगा। तथापि अनुपालन न करने के लिए नकारात्मक मार्किंग की जाएगी तथा एमओयू स्कोर को नीचे दिए अनुसार बढ़ाया जाएगा ।

क्र.सं.	वार्षिक स्कोर	ग्रेडिंग	दण्ड अंक	उत्कृष्टता ग्रेड से स्कोर में अन्तर
1	85 प्रतिशत और अधिक	उत्कृष्ट	0	0.00
2	75 प्रतिशत – 84 प्रतिशत	बहुत अच्छा	0	0.00
3	60 प्रतिशत – 74 प्रतिशत	अच्छा	0.5	0.02
4	50 प्रतिशत – 59 प्रतिशत	साधारण	0.5	0.02
5	50 प्रतिशत से नीचे	घटिया	1.0	0.04

यदि कोई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नैगमिक शासन की स्व – मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो इसके स्कोर को तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा ।

3.22 अन्य दिशा – निर्देशों/विनियमों का पालन न करने के लिए नकारात्मक अंक

क) एमएसएमई से प्राप्ति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के आ.शा. पत्र सं. 21(1)/2011 – एमए के द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आदेश के लिए सार्वजनिक प्राप्ति नीति का पालन करना होगा तथा पूर्वोक्त आदेश का पालन न करने के लिए एमओयू मूल्यांकन के समय पर कार्य बल के विवेक पर 1 अंक तक दण्ड दिया जाएगा ।

ख) लोक उद्यम विभाग के दिशा – निर्देशों का पालन न करना :

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा निर्धारित समय सीमा में लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिशा – निर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में एक प्रमाण पत्र दिनांक 28 जून, 2011 के का. ज्ञा. सं. डीपीई / 14/38/10 – वित्त में दिए ब्यौरे के अनुसार अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से विर्दिष्ट प्रपत्र में देना होगा । प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित लोक उद्यम विभाग के दिशा –

निर्देशों का पालन न करने पर एमओयू मूल्यांकन के समय पर कार्य बल के विवेक पर 1 अंक का दण्ड दिया जाएगा ।

ग) **अन्य का पालन न करना :**

सार्वजनिक उद्यमों (पीई) सर्वेक्षण के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने, अपनी वेबसाइट आदि पर एम ओ एस पी आई आंकड़ों को अद्यतन करने तथा गंभीर मामलों में विनियामकों की अपेक्षाओं को पालन न करने सहित सरकार के किसी आदेश का पालन न करने पर अनुपालन न करने की सीमा और गंभीरता के आधार पर 1 अंक तक का दण्ड दिया जाएगा । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा सरकार के निर्देशों तथा विनियामकों का पालन करने के संबंध में एक प्रमाण पत्र देना होगा (अनुबंध VIII) ।

4. मसौदा एमओयू के साथ अनुलग्नक

4.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा लोक उद्यम विभाग और प्रासंगिक सिंडीकेट के कार्य बल के सदस्यों के लिए समझौता ज्ञापन संबंधी दिशा – निर्देशों में उल्लिखित सभी अनुबंधों / दस्तावेजों के साथ प्रासांगिक प्रपत्र में मसौदा समझौता ज्ञापनों को संलग्न करना चाहिए ।

4.2 वर्ष 2014 – 15 के लिए एमओयू लक्ष्यों के साथ पिछले 5 वर्षों से संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मुख्य वित्तीय सूचक संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए (अनुबंध VI)

4.3 अलग – अलग क्षेत्रों के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा (धारा 25 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों, रुग्ण/हानि करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/तथा निर्माणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को छोड़कर) वार्ता बैठकों के दौरान कार्यबल के अनुमोदन से सांझा प्रपत्र (अनुबंध II) में दिए गए प्रासंगिक मापदण्डों का चयन करना चाहिए। धारा 25 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों, रुग्ण/हानि करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा निर्माणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम क्रमशः अनुबंध III, अनुबंध IV, और अनुबंध V में दिए गए प्रपत्र को अपनाएंगे ।

4.4 लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी एमओयू वार्ता बैठकों (2013 – 14) के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ एमओयू वार्ता बैठकों के विचार विमर्श के संक्षिप्त रिकार्ड (एसआरडी) कार्यवृत्त मसौदा एमओयू 2014 – 15 के साथ संलग्न होने चाहिए।

4.5 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा सितम्बर 2013 तक की अवधि की कारपोरेट वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, वर्ष 2012 – 13 की वार्षिक रिपोर्ट तथा समीक्षा किए गए वित्तीय परिणामों की अद्यतन प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए । इसी प्रकार, दिसम्बर 2013 को समाप्त हुई तिमाही तक निष्पादन के ब्यौरे वार्ता बैठकों से पूर्व/के दौरान उपलब्ध कराने चाहिए ।

5. समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया

5.1 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रमाणीकरण हेतु समझौता ज्ञापन वार्ता बैठकों के कार्यवृत्त पर आधारित संशोधित समझौते ज्ञापन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (नियंत्रण तथा सहायक कम्पनियों) के द्वारा भेजने चाहिए ।

5.2 वर्ष 2014 – 15 के लिए एमओयू समय से हस्ताक्षर करना :

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के बीच तथा सहायक कम्पनी और शीर्ष/नियंमित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की प्रति 25 मार्च 2014 तक की नियत तारीख के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए ।

6. एमओयू मूल्यांकन

6.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के एमओयू का मूल्यांकन एमओयू लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर वर्ष के अन्त में किया जाता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (नियंत्रण और सहायक कम्पनियों) के द्वारा लेखा – परीक्षा किए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2013 – 14 निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग और सिंडीकेट ग्रुप के कार्यबल के सदस्यों के लिए सीपीएसई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से 31 अगस्त की नियत तारीख के भीतर प्रस्तुत करनी होती है । एमओयू में दिए संसाधन/एजेंसी के रूप में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा निष्पादन के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए । मापदण्डों का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा प्रस्तुत आन्तरिक दस्तावेज संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बोर्ड स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए ।

6.2 कार्यबल की सहायता और विशेषज्ञता से एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन पूरा करने के बाद लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की रेटिंग तथा एमओयू कम्पोजिट स्कोर के परिणाम मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति को उसके

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता है । कार्यबल के द्वारा किए गए मूल्यांकन के बारे में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा एक बार अनुमोदन दे दिए जाने के बाद केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कम्पोजिट स्कोर और रेटिंग अन्तिम हो जाते हैं।

6.3 लेखा परीक्षा किए आकड़ों (लेखा – परीक्षा किए गए लेखे) तुलन – पत्र, संशोधित अनुसूची VI तथा पूर्व – संशोधित अनुसूची VI में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लाभ और हानि लेखा तथा वर्ष 2013 – 14 के लिए गैर – वित्तीय मापदण्डों की उपलब्धि के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर वर्ष 2012 – 13 के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग तथा कार्य बल के सदस्यों के लिए (वर्ष 2013 – 14 के लिए) अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से तथा सीपीएई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद 31 अगस्त, 2015 की नियत तारीख तक समय पर प्रस्तुत करना ।

6.4 **रा – स्कोर :** रा – स्कोर, एमओयू लक्ष्यों के 5 सूत्रीय स्केल के संबंध में "वास्तविक निष्पादन" को दर्शाता है । यदि वास्तविक निष्पादन "उत्कृष्ट" लक्ष्य (1) के बराबर अथवा अधिक हो, तो रा – स्कोर 1.00 होगा । यदि वास्तविक निष्पादन "घटिया" लक्ष्य (5) के बराबर अथवा कम हो, तो रा – स्कोर 5.00 होगा । यदि वास्तविक निष्पादन "उत्कृष्ट" (1) और "बहुत अच्छा" (2) के बीच में आता है, तो उस मामले में रा – स्कोर 1 + (उत्कृष्ट – वास्तविक) ÷ (उत्कृष्ट – बहुत अच्छा) आदि आदि होगा ।

6.5 कम्पोजिट स्कोर और रेटिंग

कम्पोजिट स्कार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निष्पादन का सूचक है जिसकी 5 सूत्रीय स्केल पर निर्धारित "लक्ष्यों" की तुलना में "वास्तविक उपलब्धियों" के सभी भारित स्कोर के कुल के रूप में गणना की जाती है ।

एमओयू कम्पोजिट रेटिंग के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के ग्रेडिंग की प्रणाली निम्नानुसार है : –

एमओयू कम्पोजिट स्कोर	रेटिंग
1.00 – 1.50	उत्कृष्ट
1.51 – 2.50	बहुत अच्छा
2.51 – 3.50	अच्छा
3.51 – 4.50	साधारण
4.51 – 5.00	घटिया

7. एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार

7.1 एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है (10 सिण्डीकेट ग्रुपों के प्रत्येक से एक, सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से 1, रुग्ण हुए तथा हानि कर रहे सीपीएसई में से 1) । सभी अन्य "उत्कृष्ट" निष्पादन कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एमओयू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं ।

7.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 20 अगस्त, 2007 को का. ज्ञा. सं. 3(13)/2006–डीपीई (एमओयू) के द्वारा प्रत्येक सिण्डीकेट से 10 उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए एमओयू निष्पादन तथा सिद्धान्तों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू की तथा दिनांक 7 जनवरी, 2008 के का. ज्ञा. सं. 3(29)/2007–डीपीई (एमओयू) तथा दिनांक 11.11.2013 के का. ज्ञा. सं. 3/29/2007–डीपीई(एमओयू) के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए "सर्वोत्तम सूचीबद्ध" तथा "सर्वोत्तम रुग्ण हुई तथा हानि कर रहे सीपीएसई" का चयन करने के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति जारी की ।

अनुबंधों की सूची

अनुबंध – I : वित्तीय पैरामीटरों की परिभाषाएं

अनुबंध – II : "धारा 25 के अन्तर्गत सीपीएसई", रुग्ण और हानि करने वाले सीपीएसई तथा निर्माणाधीन सीपीएसई के अलावा अन्य सीपीएसई के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – III : धारा 25 के सीपीएसई के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – IV : रुग्ण तथा हानि करने वाले सीपीएसई के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – V : "कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन पंजीकृत सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – VI : "निर्माणाधीन सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – VII : पिछले 5 वर्षों के वित्तीय मापदण्डों पर सीपीएसई के निष्पादन की प्रवृत्ति ।

अनुबंध – VIII : सीपीएसई द्वारा स्वयं घोषणा / प्रमाणन ।

अनुबंध – I

वित्तीय और लेखा संबंधी शब्दों की परिभाषांए

1. **बिक्री संबंधी कारोबार :** "बिक्री संबंधी कारोबार" को वस्तुओं की बिक्री से और सेवा प्रदान करने से एक उद्यम के साधारण कार्यकलापों के दौरान उत्पन्न नकद सकल प्रवाह, प्राप्यों और अन्य विषयों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । इसको ग्राहकों अथवा आश्रितों को आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनके प्रभारों से मापा जाता है । एक एजेंसी संबंध में, यह कमीशन की राशि होती है और न कि नकद का सकल प्रवाह, प्राप्य अथवा अन्य विषयों से संबंधित होती है । ठेकेदारों के मामले में, ए.एस 7 (संशोधित 2002) की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में राजस्व के रूप में पहचान किए गए संविदा राजस्व की राशि को "बिक्री संबंधी कारोबार" के रूप में नहीं मानना चाहिए ।

   यह भी नोट किया जाए कि "बिक्री कारोबार" शब्द में बिक्री कर, मूल्य संबंर्धित कर आदि जैसी अन्य बातों की ओर से कम्पनी के द्वारा वसूल की गई राशियां शामिल नहीं होती है अपितु उत्पाद शुल्क के संघटक शामिल होते हैं । इसके अलावा, अंत : प्रभागीय हस्तान्तरणों से बिक्री कारोबार का हिस्सा भी नहीं बनेगा ।

   नोट : लोक उद्यम विभाग (डीपीसी) के प्रयोजन के लिए "बिक्री कारोबार" मापदण्ड के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निर्णय करने के प्रयोजनार्थ इसमें उत्पाद शुल्क शामिल नहीं होगा ।

2. **सकल प्रचालन मार्जिन :** "सकल प्रचालन मार्जिन" प्रशासन, बिक्री, वितरण, वित्तीयन व्यय और करों को ध्यान में रखने से पूर्व उनकी लागत की अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के लाभ से अधिक होता है । इसके परिणामस्वरूप, परिकलन नकारात्मक होता है । इसे "सकल हानि" के रूप में कहा जाता है । इसमें "अन्य आय" शामिल नहीं होगी ।

3. **सकल प्रचालन मार्जिन दर :** बिक्री कारोबार की प्रतिशतता के रूप में सकल प्रचालन मार्जिन ।

4. **कर के बाद लाभ (पीएटी) :** मूल्यह्रास, और ऋण परिशोधन, ब्याज, असाधारण मदें, पूर्व अवधि मदें और करों सहित (आस्थगित करों सहित) कुल व्यय की तुलना में कुल राजस्व की अधिकता ।

5. **इबीआईटीडीए :** मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन, ऋणों पर ब्याज, करों (आस्थगित करों सहित) असाधारण और पूर्व अवधि मदों के लिए व्यवस्था करने से पूर्व अवधि के लिए कुल व्यय की तुलना में कुल राजस्व की अधिकता ईबीआईटीडीए है ।

6. **ब्याज कर से पूर्व आया (ईबीआईटी) :** ब्याज, करों (आस्थगित करों सहित) असाधारण मदों और पूर्व अवधि मदों के लिए व्यवस्था करने के पूर्व कुल व्यय की तुलना में कुल राजस्व की अधिकता ।

7. **प्रचालनों से नकद सृजन :–** प्रचालनों से नकद प्रवाह मुख्य रूप से उद्यम के कार्यक्रमों के लिए मूल राजस्व से प्राप्त होता है । लेखांकन मानक (एएस)3, नकद प्रवाह विवरणों में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार प्रचालन नकद प्रवाहों की गणना निम्नलिखित के प्रभावों के लिए कर के बाद लाभ (पीए) को समायोजित करके की जा सकती है :–

(i) सामान सूचियों, और प्रचालन प्राप्यों तथा देय राशियों में अवधि के दौरान परिवर्तन

(ii) मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित करों तथा वसूल न की गई विदेशी मुद्रा, लाभों और हानियों जैसे बिना नकद वाली मदें ; और

(iii) सभी अन्य मदें जिनके लिए नकद प्रभावों से नकद प्रवाहों में निवेश अथवा वित्तीयन किया जा रहा है ।

8. **सकल ब्लाक : –** स्थिर परिसम्पतियों का "सकल ब्लाक" लेखा पुस्तकों अथवा वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत (अथवा पुनः मूल्यांकन की गई राशियों) के लिए प्रतिस्थापित ऐतिहासिक लागत अथवा अन्य राशि को दर्शाता है ।

9. **मूल्यह्रास : –** प्रौद्योगिकी और बाजार परिवर्तनों से उपयोग, समय बीतने, और पुरानी होने मूल्यह्रास योग्य परिसम्पत्ति में टूट – फूट, खपत और कीमत की अन्य हानि को मापना मूल्यह्रास कहलाता है । मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है जिससे परिसम्पत्ति के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान प्रत्येक लेखांकन अवधि में मूल्यह्रास योग्य राशि का एक मामूली – सा अनुपात लिया जा सके । मूल्यह्रास में ऐसी अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का ऋण परिशोधन शामिल होता है जिनके उपयोगी जीवन पहले से निर्धारित है ।

10. **निवल ब्लाक : –** संचित मूल्यह्रास और विकृत हानि के निवल के रूप में दर्शाए सकल ब्लाक को निवल ब्लाक के रूप में दर्शाया जाता है ।

11. **शेयर पूंजी : –** प्रदत्त पूंजी, शेयरों पर भुगतान की गई राशि और अथवा एक नैगमिक उद्यम के स्टॉक के रूप में भुगतान की गई अथवा क्रेडिट की गई कुल राशि होती है ।

12. **रिजर्व और अधिशेष :**

रिजर्व : परिसम्पत्तियों की कीमत में मूल्यह्रास अथवा कमी के लिए अथवा एक जानी – मानी देयता के लिए प्रावधान के अलावा सामान्य तौर पर अथवा विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रबंधन के द्वारा विनियोजित किसी उद्यम की आय, प्राप्तियों अथवा अन्य अधिशेष का भाग (चाहे पूंजीगत अथवा राजस्वगत हो) । रिजर्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं : पूंजी रिजर्व और राजस्व रिजर्व ।

अधिशेष : अधिशेष अर्थात् आवंटनों को प्रकट करते हुए लाभ और हानि विवरण में शेष, तथा लाभांश बोनस शेयर और राजस्व में / से हस्तान्तरित रिजर्वों आदि जैसे विनियोजन ।

13. **निवल मूल्य** : निवल मूल्य से अभिप्राय : संचित हानियों में मूल्य, आस्थगित व्यय और बट्टे – खाते न डाले गए विविध व्यय को लेखांकन तुलन पत्र के अनुसार कटौती करने के बाद प्रदत्त शेयर पूंजी और संचित हानियों के कुल मूल्य की कटौती करने के बाद प्रदत्त शेयर पूंजी के कुल मूल्य से होता है, परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनः मूल्यांकन, मूल्यह्रास को पुन : लिखने और समामेलन से सृजित हुए रिजर्व इसमें शामिल नहीं होते हैं ।

14. **माल सूचियां परिसम्पत्तियां होती हैं जो**

(i) व्यवसाय की साधारण अवधि के दौरान हुई बिक्री के लिए हो ।

(ii) ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन प्रक्रिया में ।

(iii) उत्पादन प्रक्रिया में अथवा सेवाएं प्रदान करने में उपभोग की गई सामग्रियां अथवा सप्लाई के रूप में

15. **नियोजित पूंजी :** नियोजित पूंजी से निवल मूल्य और दीर्घकालीन ऋण शामिल होंगे लेकिन प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) और किए गए सभी निवेश शामिल नहीं होते हैं ।

16. **असाधारण मदों** में ऐसी आय अथवा व्यय शामिल होते हैं, जो उन गतिविधियों अथवा लेन देनों से उत्पन्न होते हैं जो उद्यम के साधारण कार्यकलापों से बिल्कुल ही भिन्न होते हें और इसलिए इनके बारम्बार अथवा नियमित रूप से होने की उम्मीद नहीं है ।

17. **पूर्व अवधि मदें** ऐसी आय अथवा व्यय होते हें, जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में चूक अथवा लोक के परिणाम स्वरूप वर्तमान अवधि में होते हैं ।

18. **चल पूंजी : –** किसी उद्यम के द्वारा दिन – प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए उपलब्ध निधियों और वर्तमान देयताओं की तुलना में वर्तमान परिसम्पत्तियों की अधिकता से दर्शायी जाती है ।

19. **व्यापार प्राप्तियां** : व्यवसाय की सामान्य अवधि में बेची गई वस्तुओं अथवा प्रदान की गई सेवाओं से ही उत्पन्न बकाया राशियां ।

20. **नियोजित औसत पूंजी :** एक समय अवधि के लिए नियोजित प्रारम्भिक और अन्त शेष पूंजी का औसत ।

नियोजित औसत पूंजी – (नियोजित प्रारम्भिक पूंजी + नियोजित अन्त पूंजी) ।

21. **उत्पादन लागत / परिवर्तन लागत :**

तैयार और अर्द्ध – तैयार उत्पादों में कच्चे माल अथवा संघटकों को बदलने से हुई लागत । इसमें सामान्य तौर पर वह लागत शामिल होती है जिनसे उत्पादन में विशेष तौर पर योगदान होता है अथवा समावेशन लागत पद्धति के अनुसार यथा लागू प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय और उप संविदा किए कार्य और उत्पादन संबंधी ऊपरी खर्च । उत्पादन संबंधी ऊपरी खर्चों में ऐसे व्यय शामिल नहीं होते हैं जो सामान्य प्रशासन, वित्त, बिक्री और वितरण से संबंधित होते हैं ।

2.2 **वर्तमान अनुपात** : यह वर्तमान देयताओं के लिए वर्तमान परिसम्पत्तियों का अनुपात होता है ।

2.3 **ऋण सेवा कवरेज अनुपात :** दीर्घकालिक देयताओं पर ब्याज के लिए ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) का अनुपात ।

24. **सामान सूची के दिनों की औसत संख्या**

सामान सूची के दिनों की औसत संख्या = 365 / सामान सूची कारोबार अनुपात ।

जहां पर सामान सूची कारोबार अनुपात = बेची गई वस्तुओं की लागत / औसत सामान सूची ।

विनिर्माण प्रचालनों में बेची गई वस्तुओं की लागत में (i) सामग्रियों की लागत (ii) श्रम और (iii) फैक्टरी के ऊपरी खर्च शामिल होते हैं; बिक्री और प्रशासन व्यय शामिल नहीं होते हैं ।

औसत सामान – सूची = (प्रारम्भिक सामान सूचियां + अन्तिम सामान सूचियां) / 2

नोट :– जिन मामलों में सामान सूची का प्रारम्भिक शेष शून्य होता है, ऐसे मामलों में अन्त शेष का सामान सूची कारोबार की गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

25. व्यापार प्राप्यों की औसत वसूली अवधि :–

व्यापार प्राप्यों की औसत वसूली – अवधि = 365 * औसत व्यापार प्राप्य / निवल क्रेडिट बिक्री ।

जहां पर औसत व्यापार प्राप्य = (प्रारम्भिक व्यापार प्राप्य + अन्त : व्यापार प्राप्य) / 2

नोट : – जिन मामलों में व्यापार प्राप्यों का प्रारम्भिक शेष शून्य हो, ऐसे मामलों में अन्त : शेष का व्यापार प्राप्य अवधि की गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

26. चल पूंजी कारोबार अनुपात :

चल पूंजी कारोबार = बिक्री कारोबार / चल पूंजी ।

27. **वर्तमान परिसम्पत्तियां :–**

किसी परिसम्पत्ति को वर्तमान के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित किसी एक मानदण्ड को पूरा करती है :–

क) इससे कम्पनी के सामान्य प्रचालन चक्र में वसूली किए जाने की उम्मीद हो अथवा इसका इरादा बिक्री अथवा उपभोग करने का हो ।

ख) इसको मुख्यत : व्यापार करने के प्रयोजनार्थ रखा जाता है ।

ग) इसको रिपोर्ट करने की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर वसूली किए जाने की उम्मीद हो ।

घ) यह नकद अथवा नकद के बराबर होता है, जब तक कि इसे रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए विनिमय करने अथवा किसी देयता का भुगतान करने के लिए उपयोग करने हेतु सीमित नहीं किया जाता है ।

28. **वर्तमान देयताएं :–**

किसी परिसम्पत्ति को वर्तमान के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित किसी एक मानदण्ड को पूरा करती है :–

क) कम्पनी के सामान्य प्रचालन चक्र में भुगतान किए जाने की इससे उम्मीद हो ।

ख) इसको मुख्यतः व्यापार करने के प्रयोजनार्थ रखा जाता है ।

ग) इसको रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान किया जाना हो ।

घ) कम्पनी को रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए किसी देयता का भुगतान आस्थगित करने का सर्शत अधिकार नहीं है । प्रति पक्षकार के विकल्प पर देयता की शर्तों से, जो हो सकती है, इक्विटी दस्तावेजों को जारी करने से इसके वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

सभी अन्य देयताओं को नॉन – करेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र (धारा 25 के तहत सीपीएसई, रुग्ण और हानि वाले सी पी एस ई तथा निर्माणाधीन सीपीएसई को छोड़कर सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए साझा)								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड	**इकाई**	भार (%)	**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
			उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
1. **स्थिर / वित्तीय मापदण्ड**								
अनिवार्य मापदण्ड [क्र. सं. (i) – (ii)]								
(i) विकास / आकार / कार्यकलाप (दो) क. ब्याज और अन्य आय को छोड़कर बिक्री कारोबार (प्रचालन कारोबार) (बिक्री कारोबार में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क वैट अथवा कोई अन्य शुल्क, कर आदि शामिल नहीं होगा) । ख. सकल प्रचालन मार्जिन अथवा सकल प्राचल मार्जिन दर ग. स्वीकृत ऋण घ. वितरण	रु. करोड. रु. करोड % रु. करोड रु. करोड	18– 24						
(ii) लाभप्रदता क. पी.ए.टी / निवल मूल्य ख. ईबीआईटीएडी / निवल	% %	10– 12						

ब्लाक ग. ईबीआईटीएडी / नियोजित औसत पूंजी	%							
(iii) लागत और उत्पादन दक्षता क. बिक्री करोबार / निवल ब्लॉक ख. पीएटी प्रति कर्मचारी	% रु. लाख	8–10						
वैकल्पिक मापदण्ड [क्र. सं. (iv) – (v)]								
(iv) परिसमापन / प्रभावन क्षमता क. वर्तमान क्षमता ख. ऋण सेवा कवरेज अनुपात	अनुपात	8–10						
(v) परिसम्पत्ति उपयोग की कार्य – कुशलता क. सामान सूची की औसत संख्या, दिन (सामान सूची कारोबार अनुपात) ख. व्यापार प्राप्तियों की औसत वसूली अवधि (देनदार कारोबार अनुपात) ग. एनपीए / ऋण परिसम्पत्तियां घ. निधियों की औसत लागत अथवा ब्याज दर प्रसार	 दिनों की सं. दिनों की सं. % दर दर	6–8						
उप जोड़ 1 (I से V)		50						
नोट : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कुल (अनिवार्य तथा वैकल्पिक समूह से) 6 वित्तीय अनुपातों तक का चयन कर सकता है । क्र. सं. (i) से दो अनुपात अनिवार्य है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शेष दो अनिवार्य समूहों में से न्यूनतम दो अनुपातों का चयन कर सकते हैं । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके कार्यबल अनुपातों और उनके महत्व में परिवर्तन, इसके कारण रिकार्ड करने के बाद (50 के भीतर) कर सकते हैं।								

अनुबंध – II

एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र (धारा 25 के तहत सीपीएसई, रुग्ण और हानि वाले सी पी एस ई तथा निर्माणाधीन सीपीएसई को

छोड़कर सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए साझा)								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड	**इकाई**	भार (%)	**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
			उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
2. **गतिशील / गैर – वित्तीय मापदण्ड**								
(i) नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता		3 तक						
(ii) अनुसंधान और विकास		2						
(iii) **विकास के लिए पहलें** क. भौतिक लक्ष्य / उत्पादन **अथवा** नए आर्डरों / परियोजनाओं की संख्या ख. निगमित / रणनीतिक योजना – उद्देश्यों / लक्ष्यों को तैयार करना / निर्धारण / पहचान करना ग. विस्तार / विविधीकरण / अधिग्रहण / संयुक्त उद्यम घ. ब्राण्ड बनाना / विपणन पहल / नए उत्पाद / नए बाजार ड. आयात प्रतिस्थापन / निर्यात / प्रचालनों का वैश्वीकरण च. जोखिम की पहचान और न्यूनीकरण		10 –15						
(iv) **परियोजना प्रबंध और कार्यान्वयन** क. क्षमता में बढ़ोतरी ख. वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली नई / जारी परियोजनाओं की संख्या ग. वर्ष के दौरान जो परियोजनएं शुरू नहीं की जा सकती हैं उन नई / जारी परियोजनाओं के लिए प्राप्त		10 –15						

किए जाने वाले लक्ष्य घ. सीएपीईएक्स (निर्माणाधीन सीडब्ल्यूआई पी / परिसम्पत्तियों में से वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए जाने वित्तीय संदर्भ में लक्ष्य)								
v) **उत्पादकता और आन्तरिक प्रक्रियाएं :** क. परिसम्पत्ति / मशीन / सुविधा उपयोग / डाउन – टाइम ख. उत्पाद विनिर्माण / उत्पाद चक्र समय ग. जन शक्ति / संसाधनों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय घ. बैंचमार्किंग के प्रति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों की बैंचमार्किंग तथा निर्धारण ड. बाजार हिस्सा च. ग्राहक सन्तुष्टि और ग्राहक की शिकायतों का निवारण छ. ग्राहक फोकस – ग्राहक सन्तुष्टि सूची और बिक्री की प्रति यूनिट शिकायतें		7 – 10						
vi) **प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीन प्रथाएं :** क. नई प्रौद्योगिकियां / उन्नत मौजूदा / अन्य नवीन प्रथाएं ख. बौद्धिक सम्पदा – पेटेंट, ट्रेड – मार्क, कापीराइट ग. गुणवत्ता प्रबंध – टी क्यू एम, सिक्स सिगम और आई एस ओ पद्धतियां, बाल्डरिज निष्पादन उत्कृष्टता मानदण्ड आदि ।		5 – 10						

घ. सुरक्षा प्रबंध – सुरक्षा, दुर्घटना सूची, सूचना योग्य दुर्घटनाएं ड. साइबर सुरक्षा – सुरक्षा प्रणालियों को विकसित करना । स्थापित करना ; मानीटरिंग और साइबर सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों का पता लगाना ।								
vii) **मानव संसाधन प्रबंध :**		8 तक						
3. **क्षेत्र विशिष्ट मापदण्ड / उद्यम विशिष्ट मापदण्ड**		5 तक						
उप जोड (2 + 3)		**50**						
जोड (1 + 2 + 3)		**100**						
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम गतिशील / गैर – वित्तीय मापदण्डों में से 8 मापदण्डों का चयन कर सकते हैं । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम प्रत्येक समूह से 2 से अधिक मापदण्डों का चयन नहीं कर सकते हैं । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग से परामर्श करने के बाद कार्य बल मापदण्डों और उनके महत्व के बारे में बदलाव / संशोधन करने के कारण देते हुए इस तरीके से कर सकते हैं कि गैर– वित्तीय मापदंड का कुल महत्व कुल महत्व 50 से अधिक न हो । सी एस आर तथा संपोषणीयता, आर एण्ड डी तथा एच आर एम संबंधी मापदण्डों का लोक उद्यम विभाग के संबंधित दिशा – निर्देशों तथा इस संबंध में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार चयन करना होगा ।								

सभी मापदण्डों के संबंध में जांच के स्रोतों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत/उद्गम) के बारे में स्वयं मसौदा एमओयू में सीपीएसई के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – III

"कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड	**इकाई**	भार (%)	**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम
			उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोष जनक (4)	घटिया (5)	
1. स्थिर / वित्तीय मापदण्ड								
(i) ईबीआईटीडीए (ब्याज से पूर्व आय, कर मूल्यह्रास और परिशोधन	रु. करोड़	10						
(ii) वितरण	रु. करोड	12						

(iii) सरकार के सहायता अनुदान के अलावा अन्य स्रोतों से गतिशील कुल स्रोतों का प्रतिशत	%	04						
(iv) ईबीआईटीडीए / कुल रोजगार	रु. लाख	05						
(v) बकाया राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूलियां (वर्तमान वर्ष)	%	04						
(vi) अलग – अलग वर्षों की अधिक बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में वसूलियां (संचित)	%	05						
उप जोड़ 1 (i से vi)		40						
मूल्यांकन मापदण्ड								
2. गतिशील मापदण्ड								
(i) वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या	संख्या	30–35						
(ii) अन्य सरकारी विभागों अथवा स्थापित संस्थाओं की स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभाग्राहियों की संख्या	संख्या							
(iii) वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए लाभग्राहियों की प्रतिशतता	प्रतिशतता							
(iv) निरीक्षण के दौरान पाए गए ऐसे लाभग्राहियों की प्रतिशतता जिनके पास सृजित परिसम्पत्तियां हैं ।	प्रतिशतता							
(v) निरीक्षण के दौरान पाए गए ऐसे सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की प्रतिशतता जिन्होंने गरीबी की रेखा पार कर ली है ।	प्रतिशतता							
(vi) उद्यमिता विकास / कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए समूहों की संख्या जिनसे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है ।	संख्या							

(vii) लाभग्राहियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यावसायिक संस्थानों के साथ भागीदारी ।	संख्या							
(viii) निगम के उद्देश्यों / स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागो / स्थापित संस्थाओं के साथ भागीदारी ।	संख्या	20–25						
(ix) रणनीतिक योजना – तैयार करना / कार्यान्वयन	समय सीमा							
(x) निष्पादन न कर रही परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता कमी – वर्ष वार ब्यौरा								
(xi) अनुसंधान और विकास (आर और डी दिशा – निर्देशों का पैरा 4.4.9 देखें)								
(xii) मानव संसाधन विकास		05 तक						
3. क्षेत्र विशिष्ट मापदण्ड / उद्यम विशिष्ट मापदण्ड		0 5 तक						
उप जोड (2 + 3)		60						
जोड (1 + 2 + 3)		100						

कार्य बल, मापदण्डों को बदल/संशोधित कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा चयन किए गए गतिशील मापदण्ड की भारिता के आवंटन को इस प्रकार बदल/संशोधित कर सकते हैं कि कुल 60 से अधिक न हो ।

सभी मापदण्डों के संबंध में जांच के स्रोतों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत/उद्गम) के बारे में स्वयं मसौदा एमओयू में सीपीएसई के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – IV

"रुग्ण और हानि कर रहे सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड	**इकाई**	भार (%)	**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
			उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	

1. स्थिर / वित्तीय मापदण्ड								
(i) बिक्री कारोबार, ब्याज और अन्य आय (प्रचालन करोबार) को छोड़कर, (बिक्री कारोबार में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट अथवा कोई अन्य शुल्क, कर आदि शामिल नहीं होगा)	रु. करोड	8						
(ii) सकल प्रचालन मार्जिन अथवा सकल प्रचालन मार्जिन दर	रु. करोड .%	8						
(iii) निवल लाभ (पी. ए. टी.)	रु. करोड							
(iv) निवल लाभ	रु. करोड							
(v) प्रचालनों से नकद सृजन	रु. करोड	5						
(vi) चल पूंजी कारोबार अनुपात	अनुपात	5						
(vii) औसत सं. सामान सूची के दिन (अथवा सामान सूची कारोबार अनुपात)	रु. क. अनुपात	5						
(viii) व्यापार प्राप्तियों की औसत वसूली अवधि (अथवा देनदार कारोबार अनुपात)	दिन / अनुपात							
उप जोड़ 1 (i से viii)		40						
मूल्यांकन मापदण्ड								
2. गतिशील मापदण्ड								
(i) भौतिक लक्ष्य / उत्पादन **अथवा** नए आर्डरों / परियोजनाओं की संख्या								
(ii) ग्राहक सन्तुष्टि								

(iii) परियोजना कार्यान्वयन		30 –45						
(iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन								
(v) व्यवसाय / पुनरुद्धार योजना की तैयारी / कार्यान्वयन (जो भी मामला हो)								
(vi) निष्पादन न करने वाली परिसम्पत्तियों से निधियों का सृजन		25 –45						
(vii) कम्पनी के पास उपलब्ध संसाधनों से राजस्व सृजन								
(viii) मानव संसाधन प्रबंध–एच.आर.एम.								
(ix) आर एण्ड डी – गुणवत्ता सुधार, ऊर्जा दक्षता, लागत में कमी, नए उत्पादों का विकास उत्पाद और प्रक्रियाओं में सुधार (आर एण्ड डी दिशा निर्देशों का पैरा 4.3.9 देखें)								
(x) सीएसआर और संपोषणीयता								
3. क्षेत्र विशिष्ट मापदण्ड / उद्यम विशिष्ट मापदण्ड		5 तक						
उप जोड (2 + 3)		60						
जोड (1 + 2 + 3)		100						

कार्य बल, मापदण्डों को बदल / संशोधित कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा चयन किए गए गतिशील मापदण्ड की भारित के आवंटन को इस प्रकार बदल / संशोधित कर सकते है कि कुल 60 से अधिक न हो ।

सभी मापदण्डों के संबंध में जांच के स्रोतों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत / उद्गम) के बारे में स्वयं मसौदा एमओयू में सीपीएसई के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – V

"निर्माणाधीन सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड	**इकाई**	भार (%)	**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
			उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
1. परियोजना संबंधी मापदंड								
(i) वास्तविक उपलब्धि (ii) वित्तीय उपलब्धि (iii) नियामक स्वीकृतियां (iv) परियोजना का कार्यान्वयन	रु. करोड़							
उप जोड़ 1 (i से iv)		60						
मूल्यांकन मापदण्ड		40						
2. गतिशील मापदण्ड								
(i) नैगमिक योजना / विजन (ii) नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता (iii) मानव संसाधन प्रबंध – एच आर एम (iv) अनुसंधान और विकास ।								
उप जोड़ 1 (i से v)								
3. क्षेत्र विशिष्ट परिवर्ती कारक / उद्यम विशिष्ट परिवर्ती कारक		5 तक						
जोड (1 + 2 + 3)		100						

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग से परामर्श करने के बाद कार्य बल वित्तीय और गैर – वित्तीय मापदण्डों को बदलने / संशोधित करने के कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद उनमें इस प्रकार परिवर्तन / संशोधन कर सकता है कि वित्तीय और गैर – वित्तीय मापदण्डों की कुल भारिता क्रमश : 60 और 60 से अधिक न हो।

सभी मापदण्डों के संबंध में जांच के स्रोतों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत / उद्गम) के बारे में स्वयं मसौदा एमओयू में सीपीएसई के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – VI

(रु. करोड में)

पिछले 5 वर्षों के लिए वित्तीय मापदण्डों के संबंध में सीपीएसई के निष्पादन की प्रवृत्ति

विवरण	2009 – 10		2010 – 11		2011 – 12		2012 – 13		2013 – 14		उपलब्ध अद्यतन वैंचमार्किं का ब्यौरा
	एम ओ यू	वास्तविक	एम ओ यू	वास्तविक	एम ओ यू	वास्तविक	एम ओ यू	वास्तविक	एम ओ यू	31.03. 2013 के लिए अनुमानित	
क्षमता उपयोग (प्रत्येक संयंत्र के लिए अलग – अलग)											
उत्पादन (मात्रा में)											
उत्पादन (रु. करोड़ में)											
लाभ और हानि विवरण मदें											
ब्याज और अन्य आय को छोड़कर बिक्री कारोबार (प्रचालन करोबार) (बिक्री कारोबार में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट अथवा कोई अन्य शुल्क, कर आदि शामिल नहीं होगा)											
ब्याज और अन्य आय											
सकल प्रचालन मार्जिन दर (%)											
सकल											

प्रचालन मार्जिन											
ई बी आई टी डी ए (ब्याज पूर्व आय, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन)											
मूल्यह्रास											
ईबीआईटी (ब्याज और कर पूर्व आय)											
ब्याज संबंधी व्यय											
पूर्व अवधि व्यय											
असाधारण मदें											
कोई अन्य व्यय											
कर पूर्व लाभ											
कर											
कर के बाद लाभ											
भुगतान किया गया लाभांश											
सांविधिक रिजर्व के लिए हस्तान्तरित लाभ											
कोई अन्य मद											
तुलन – पत्र के लिए हस्तान्तरित लाभ											
तुलन पत्र मदें											
सकल ब्लाक											
कमीः– मूल्यह्रास											
निवल ब्लाक											
सीपीएसई के शेयर पूंजी											
सीपीएसई का											

रिजर्व और अधिशेष											
कमीः– आस्थगित राजस्व व्यय / पूर्व अधिग्रहण हानि											
कमी : लाभ और हानि लेखा (हानि संबंधी आंकड़े)											
सीपीएसई का निवल मूल्य											
निवेश											
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां											
कुल वर्तमान देयताएं और प्रावधान											
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियां											
नियोजित पूंजी (निवल ब्लाक + निवल वर्तमान परिसम्पत्तियां)											
कुल दीर्घकालिक ऋण (ऋण संबंधी निधियां)											
कुल परिसम्पत्तियां											
सीपीएसई के कर्मचारियों की संख्या											
अनुपात											
पीएटी / निवल मूल्य											
ईबीआईटीडीए / निवल मूल्य											

ईबीआईटी / औसत नियोजित पूंजी											
पीएटी प्रति कर्मचारी (रु. लाख में)											
वर्तमान अनुपात											
ऋण सेवा कवरेज अनुपात											
प्रचालन नकद प्रवाह											
सामान सूची के दिनों की औसत सं.											
सामान सूची कारोबार अनुपात											
व्यापार प्राप्तियों की औसत वसूली अवधि											
देनदारों का कारोबार अनुपात											
स्वीकृत ऋण											
वितरण											
एनपीए / ऋण परिसम्पत्तियां											
निधियों की औसत लागत											
"कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सीपीएसई" के लिए अतिरिक्त											
वितरण											
सरकारी सहायता											

अनुदान के अलावा अन्य स्रोतों से गतिशील कुल स्रोतों की प्रतिशतता ।											
ईबीआईटीडीए / कुल रोजगार											
बकाया राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूलियां											
अलग – अलग वर्षों के लिए अधिक बकाया राशियों की प्रतिशतता के रूप में वसूलियां (संचित)											
"रुग्ण और हानि वाले सीपीएसई " के लिए अतिरिक्त											
प्रचालनों से नकद सृजन											
चल पूंजी करोबार अनुपात											
"निर्माणाधीन सीपीएसई" के लिए अतिरिक्त											
वास्तविक उपलब्धि											
वित्तीय उपलब्धि											

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम उपर्युक्त के अनुसार समस्त सूचना उपलब्ध कराएंगे जहां उनके लिए लागू हो ।

अनुबंध – VIII

सी पी एस ई के द्वारा स्वयं घोषणा / प्रमाणन

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय मापदण्डों के संबंध में लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां वर्ष 2014 – 15 के लिए एमओयू दिशा – निर्देशों में निर्धारित मानदण्डों और परिभाषाओं को अपना कर एमओयू दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त की गई है । निष्पादन का मूल्यांकन करने के समय पर यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो लोक उद्यम विभाग एमओयू दिशा – निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा किए गए लेखों का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है । सीपीएसई को इस संबंध में कोई दावा करने का अधिकार नहीं है ।

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 3/19/2013–डीपीई (एमओयू), दिनांक : 11 नवम्बर, 2013)

*****